कार्यालय प्राचार्य, नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, खैरागढ़
जिला - खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)

Email - girlscollegekgh@gmail.com

क्रमांक 76 /अति. व्या./2026 खैरागढ़, दिनांक 21/07/2026

//अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन//

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय नवा रायपुर के पत्र कमांक ESTB/23066/ 2026-0/0 ADDITIONAL DIRECTOR नवा रायपुर दिनांक 17/07/2026 के अनुसार **नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, खैरागढ़, छुईखदान, गण्डई छ०ग०** के सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध विषय अंग्रेजी एवं भौतिकशास्त्र विषय में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन **दिनांक 31/07/2026 को सायं 05.30 बजे** तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोटः –

विस्तृत विज्ञापन संस्था के नोटिस बोर्ड एवं महाविद्यालय की वेबसाईट govtgirlscollegekhairagarh.ac.in में अपलोड किया गया है। जिससे विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताः –

1. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा के मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।

2. . **आयु सीमा** अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।

3. छत्तीसगढ़ में अतिथि व्याख्याता (Guest Lecturer) भर्ती नियमों के अनुसार, यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी (Category) के दो अभ्यर्थियों के अंक समान (Tie) होते हैं, तो राज्य के मूल निवासी को वरीयता दी जाएगी।

विषय / पदों का विवरणः–

क्र.	विषय	रिक्त पद एवं संख्या				
		प्राध्यापक	सह–प्राध्यापक	**सहायक प्राध्यापक**	ग्रंथपाल	क्रीडाधिकारी
1	**अंग्रेजी**	0	0	**01**	0	0
2	**भौतिक शास्त्र**	0	0	**01**	0	0

टीपः–संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति /नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते –

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं. स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल. /पी–एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

02. दिनांक **31/07/2026** तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं. प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।

03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का. प्रकाशन दिनांक **05/08/2026** को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट govtgirlscollegekhairagarh.ac.in पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाइट में विस्तृत विंवरण भी अपलोड किया जायेगा।

05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि **08/08/2026** तक होगी।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक **10/08/2026** को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस / न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय ६ महाविद्यालय में शिकायत/ कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

08. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10 **मानदेयः–**

अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत मानदेय निम्नानुसार होना प्रस्तावित है –

अतिथि व्याख्याता मानदेय 2000/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 50,000/–)

अतिथि शिक्षण सहायक 1400/– प्रति कार्य दिवस (प्रतिमाह अधिकतम 35,000/–)

11. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का **पता प्राचार्य नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, खैरागढ, छुईखदान, गण्डई पिन कोड 491881 छ0ग0** एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन /महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं कहलायेंगे।

13. संस्थान के इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

प्राचार्य
शासकीय कन्या महाविद्यालय
खैरागढ़
जिला– खैरागढ–छुईखदान–गंडई (छ.ग.)

पृष्ठा. क्रमांक– 77 /अति. व्या./2026 खैरागढ, दिनांक – 21/07/2026

प्रतिलिपिः–

1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर, अटल नगर, (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।

2 क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, श्रेत्रीय कार्यालय, दुर्ग संभाग को सादर सूचनार्थ।

3 प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय, ... को सादर सूचनार्थ।

प्राचार्य
दान शासकीय कन्या महाविद्यालय
खैरागढ़
जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)